सं. डब्ल्यू-02/0017/2014-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-xi/14

भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

.....

लोक उद्यम भवन,

ब्लॉक संख्या 14, सी.जी.ओ.कॉम्प्लैक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003.

दिनांक : 21.05.2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सीपीएसई में पेंशन योजना और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ शुरू करने के संबंध में स्पष्टीकरण

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी) तथा दिनांक 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी) अधिकारियों के वेतन संशोधन और सीपीएसई की पेंशन और सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ योजना सहित गैर-संघीय सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में डीपीई को इस संबंध में कुछ प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं। सीपीएसई की पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा लाभ योजना को अंतिम रूप देते समय निम्नलिखित स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखा जाए:-

1. डीपीई के दिनांक 26.11.2008 एवं 02.04.2009 और समय-समय पर संशोधित कार्यालय ज्ञापनों में निर्धारित सेवानिवृत्ति लाभों के लिए मूल वेतन + डीए के 30% की शर्त का कड़ाई से पालन किया जाए।
2. योजनाएं (पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ) सीपीएसई की सामर्थ्य, भुगतान करने की क्षमता और स्थिरता जैसे कारकों के अधीन है।
3. इन योजनाओं को संचालित करने के लिए सरकारी बजटीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।
4. यह सुनिश्चित किया जाना है कि 2007 के वेतन संशोधन को लागू करके, जिसमें ये दो योजनाएं शामिल होंगी, वर्ष 2007-08 के लिए कर पूर्व लाभ (पीबीटी) में गिरावट सीपीएसई के अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के संबंध में 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. चूंकि सीपीएसई में 2007 के वेतन संशोधन की प्रभावी तिथि 01.01.2007 है, इसलिए प्रस्तावित योजना को 01.01.2007 या उसके बाद की दिनांक से उन नियमित कर्मचारियों के लिए लागू किया जा सकता है जो उस तारीख को सीपीएसई के रोल में थे या इसके बाद भर्ती की गई। यदि कोई नियमित कर्मचारी प्रस्तावित योजना में योगदान नहीं करना चाहता है, तो उसके पास एक विकल्प होना चाहिए।
6. इन योजनाओं में सीपीएसई का योगदान इस हद तक सीमित है कि कुल सेवानिवृत्ति लाभों में योगदान जिसमें पीएफ और ग्रेच्युटी भी शामिल है, मूल वेतन + डीए के 30% तक सीमित है। सीपीएसई की

लाभप्रदता/क्षमता के आधार पर प्रत्येक वर्ष इसकी समीक्षा की जाएगी । इन दो योजनाओं के लिए सीपीएसई द्वारा प्रति वर्ष योगदान की गारंटी नहीं दी जानी चाहिए।

7. एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय सीपीएसई में निरंतरता में पुनर्वितरित न्यूनतम 15 वर्षों की सेवा में होना चाहिए था, और सीपीएसई फॉर्म द्वारा लाभ की अनुमति दी जाएगी जहां पदधारी सेवानिवृत्त हो गया है।
8. सीपीएसई में कार्यग्रहण करने के बाद सरकार में की गई सेवाओं को सीपीएसई के कुल सेवा के अभिकलन हेतु इस योजना के लाभ उठाने के लिए गिना नहीं जाएगा ।
9. जहां तक बोर्ड स्तर के कार्यपालकों का संबंध है, जो संविदा पर नियुक्त हैं, वे भी इन योजनाओं के तहत लाभों का आनंद ले सकते हैं परंतु सेवानिवृत्ति के समय उनकी सेवा की कुल अवधि निरंतरता में 15 वर्ष से कम नहीं हो।
10. किसी भी कर्मचारी के सीपीएसई की सेवाओं से इस्तीफा देने है तो समान योजनाओं वाले किसी अन्य सीपीएसई में शामिल होने की स्थिति में, नियोक्ता और कर्मचारी के योगदान की पूरी राशि के साथ-साथ उस पर अर्जित ब्याज को ऐसे सीपीएसई में स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि, कर्मचारी जो सीपीएसई से इस्तीफा देकर शामिल होने के लिए कोई अन्य सीपीएसई, जिसके पास समान योजनाएं नहीं हैं, या कोई संगठन जो सीपीएसई नहीं है (चाहे उस संगठन में ऐसी योजना मौजूद हो या नहीं), तो इन योजनाओं के तहत अपनी संचित निधि को स्थानांतरित करने के लाभ की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, अर्जित ब्याज के साथ कर्मचारी का योगदान कर्मचारी को वापस किया जाएगा।
11. केंद्र/राज्य सरकार से सीपीएसई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा।
12. यदि योजना के नियमित सदस्य की मृत्यु हो जाती है / स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है, जिसके कारण उसकी सेवा समाप्त हो जाती है, तो सेवानिवृत्ति से पहले सीपीएसई में 15 साल की सेवा पूरा किया है तो, उसे इन योजनाओं के तहत स्वीकार्य लाभ दिए जा सकते हैं।
13. वीआरएस/वीएसएस का मामला जिसके लिए विशिष्ट योजना तैयार की गई है, इन योजनाओं के तहत सीपीएसई के कर्मचारियों के संबंध में लागू सरकार की वीआरएस/वीएसएस की ऐसी विशिष्ट योजनाओं के संदर्भ में जांच की जाएगी, जो वीआरएस/वीएसएस चुनने वालों को स्वचालित रूप से अर्जित नहीं होंगे।
14. सेवानिवृत्ति के समय, एक कर्मचारी पेंशन और/या सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ प्रदान करने वाली किसी भी निर्दिष्ट वार्षिकी बचत सेवा से वार्षिकी का विकल्प चुन सकता है।
15. इन योजनाओं के तहत उन कर्मचारियों को लाभ की स्वीकार्यता है जिनके खिलाफ सेवानिवृत्ति के समय अनुशासनात्मक कार्यवाई लंबित है, सीपीएसई के आचरण, अनुशासन और अपील नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
16. इस्तीफा के मामलों में ('तकनीकी औपचारिकता खंड' के तहत शामिल इस्तीफा को छोड़कर) और अनिवार्य सेवानिवृत्ति, निष्कासन, अनुशासनात्मक कार्यवाई के कारण पदच्युति के मामले में वार्षिकी केवल सदस्य के योगदान उस पर जो ब्याज है उन पर आधारित होगा।
17. डीपीई कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.07.2009 एवं दिनांक 20.07.2011 के सीपीएसई कर्मचारियों के लिए एक कोष के निर्माण से संबंधित है जो दिनांक 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त हो गया था। पेंशन और सेवानिवृत्ति

के बाद की चिकित्सा लाभ योजनाओं तथा दिनांक 08.07.2009 एवं दिनांक 20.07.2011 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित कोष के बीच कोई संबंध नहीं है।

18. योजनाएं एक "परिभाषित योगदान योजना" के तहत होंगा, न कि एक परिभाषित लाभ योजना के तहत, निर्धारित सीमा के भीतर सीपीएसई द्वारा किए गए योगदान के अधीन, और सामर्थ्य के आधार पर, व्यक्तिगत कार्यकारी को लाभ संचित के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
19. कम्यूटेशन" का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2007 में पेंशन का प्रावधान वेतन पुनरीक्षण दिशानिर्देश पेश किया गया था ताकि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पर्याप्त मासिक पेंशन मिल सके।

(समसुल हक)
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मुख्य कार्यपालक
2. भारत के नियंत्रण एवं महालेखा-परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली
3. प्रशासनिक मंत्रालयों में वित्तीय सलाहकार
4. व्यय विभाग, ई-III-ए, ब्रांच, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली
5. एनआईसी, डीपीई को अनुरोध के साथ की वे इस कार्यालय ज्ञापन को डीपीई की वेबसाइट पर लोड़ करें।